प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार सिंह–चतुर्थ
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,

श्री आर0के0चडढा
संयुक्त निबंधक (प्रशासन–प्रथम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

सन्दर्भः– 16775/चतुर्थ –2475 /प्रशासन (ए) इलाहाबाद दिनांकित 19 नवम्बर 2019

पत्रांक372/&20 प्रशासन न्याय विभाग अमरोहा दिनांक04-3-2020

विषयः–मेरे सेवानिवृत्त होनें पर स्वयं के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0–18541 में विघमान अन्तिम शेष के 90 प्रतिशत का भुगतान किये जानें के सम्बन्ध में:–

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराना है कि मैं दिनांक 31.05.2020 को अधिवर्षिता पूर्ण करनें पर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होनें वाला हूँ। मेरे सेवानिवृत्ति के नियत तिथि दिनांक 31.05.2020 को सेवानिवृतत होनें पर मेरे सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या–एल0जे0यू0–18541 विघमान अन्तिम शेष का 90 प्रतिशत का भुगतान देय है। सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0–18541 के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु पास बुक मूल रूप से इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे दिनांक 31.05.2020 को न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होनें पर मेरे सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0–18541 में विघमान अन्तिम शेष के 90 प्रतिशत का भुगतान हेतु प्रकरण भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष आदेशार्थ रखनें की कृपा करें।

सादर।

दिनांक

भवदीय

(डा0 अशोक कुमार सिह–चतुर्थ)
जिला न्यायाधीश
अमरोहा ।

संलग्नकः–

1– 425–ए आवेदन–पत्र तीन प्रतीयों में

2– कार्यालय महालेखाकार का मिलान–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति

3– सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0–18541 की मूल पास बुक

4– अन्तिम वर्ष एवं अन्तिम पॉच वर्ष की आगणन शीट

5– अधिक भुगतान प्राप्त होनें पर उसे वापिस करनें का वचन–पत्र

07-3-20